अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

तेजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट
निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

भलाराम पुत्र राणाराम जाति जाट
निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा व
अन्य

मुकदमा स. 187 **/ 2024**

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02.12.2024	महोदय यह आवेदन प्रार्थी तेजाराम की ओर से मुल पत्रावली के निस्तारण से पूर्व हुए नेखमबंदी आदेश को निरस्त करते के तहत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंग्न/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रार्थीगण को सुना जाना है। अवलोकनार्थ एंव आदेशार्थ सहायक कलक्टर (एस.डी.एम)सिणधरी 02/12	
02.12.2024	यह आवेदन प्रार्थी तेजाराम की ओर से मुल पत्रावली के निस्तारण से पूर्व हुए नेखमबंदी आदेश को निरस्त करते के साथ ही धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। चूंकि हस्तगत आवेदन के जरिये प्रार्थी द्वारा राजस्व आवेदन सं. 93/2023 अनवान लुम्भाराम बनाम भीखा में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 रा.भू.रा. अधि. 1956 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये ... इस्तदुआ चाही गई है। प्रकरण के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में पाया ... कि राजस्व वाद सं. 127/2016 राणा बनाम तेजाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 के जरिये पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के जरिये प्रार्थीगण द्वारा नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत किया जो, दिनांक 19.09.2024 को निर्णीत हुआ। इसी	

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:33 IST
Reason: SelfAttested

बीच निर्णीत वाद सं. 127/2016 के प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष दायर अपील में अपने निर्णय दिनांक 07.04.2021 के जरिये इस न्यायालय में पुनः सुनवाई करते हुए बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देशों सहित प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई बाद दिनांक 16.01.2024 को निर्णीत किया गया। इस प्रकार मूल प्रकरण सं. 127/2016 के पूर्व में पारित निर्णय के विरूद्ध रिमांण्ड प्रकरण के पुनः निस्तारण के मध्य नेखमबंदी के प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रकरण जैरकार होने अथवा कोई स्थगन इत्यादि होने की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये जाने से नेखमबंदी के प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया गया। चूंकि इस प्रकार बाद विधिवत सुनवाई के निस्तारित प्रकरण में अब नये सिरे से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने के तथ्य चस्पा नहीं होते है। जहां तक निस्तारित प्रकरण को पुनः सुने जाने अथवा उसके संबंध में की गई कार्यवाही के बाद पारित किसी आदेश को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ सहित प्रस्तुत प्रकरण में जब तक किसी सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जाती अथवा उसके निरस्त या अपास्त किये जाने के आदेश पारीत नहीं किये जाते है, तब तक उसी न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण जो निस्तारित हो चुका हो, पर पुनः सुने जाने के प्रावद्यान विधि के परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश के संबंध में असतुष्ट होने पर आलोच्य आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:33 IST
Reason: SelfAttested